न्यायालय,समाहर्त्ता-सह-जिला दण्डाधिकारी,खगड़िया।

आदेश—पत्रक

(देखें अभिलेख एक्ट, 1946 का नियम 139)

आदेश पत्रक--ता0..............................से...

जिला--खगड़िया...............................,सा0...,...,सन्.......................

केस का प्रकारः--बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम, 2016 के अर्न्तगत जप्त विदेशी शराब को विनष्ट करने के संबंध में। वाद संख्याः--151/2017 राज्य बनाम अज्ञात

आदेश की क्रम सं0 और तारीख 1.	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर 02.	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे टिप्पणी तारीख--सहित 3.
06.01.2018	बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम--2016 की धारा 30(ए) के तहत मोरकाही थाना में दर्ज कांड संख्या--131/2017, दिनांक 21.08.2017, में 750 एम0एल0 का 06 (छः) बोतल एवं 180 एम0एल0 का 4 (चार) एवं 375 एम0एल0 का 10 (दस) बोतल विदेशी शराब जप्त किये गए विदेशी शराब के विनष्टीकरण हेतु पुलिस अधीक्षक, खगड़िया के ज्ञापांक 18/हि0शा0, दिनांक 04.01.2018 द्वारा प्राप्त हुआ है। प्रस्ताव के साथ संलग्न थानाध्यक्ष, मोरकाही का प्रतिवेदन के अवलोकन से स्पष्ट है कि 750 एम0एल0 का 01 (एक) एवं 180 एम0एल0 का 01 (एक) तथा 180 एम0एल0 का 01 (एक) बोतल विदेशी शराब माननीय न्यायालय के निदेशानुसार उत्पाद रसायन परीक्षक, बिहार पटना को भेजा गया है, तथा शेष 750 एम0एल0 का 05 (पॉच) बोतल, 375 एम0एल0 का 09 (नौ) बोतल एवं 180 एम0एल0 का 03 (तीन) बोतल विदेशी शराब थाना मोरकाही थाने के मालखाना में रखा गया है। पुलिस पदाधिकारी ने यह भी प्रतिवेदित किया है कि थाने में रखी गई शराब का दुरूपयोग किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में इसे लंबे समय तक जमा रखना स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से सर्वथा अनुपयुक्त है। अतएव प्राप्त प्रस्ताव/प्रतिवेदन पर सम्यक विचारोपरान्त बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम-2016 की धारा--57 में वर्णित शक्तियों का प्रयोग करते हुए मोरकाही थाने के मालखाना में रखी गई कुल--750 एम0एल0 का 05 (पॉच) बोतल, 375 एम0एल0 का 09 (नौ) बोतल एवं 180 एम0एल0 का 03 (तीन) बोतल कुल--7.635 लीटर विदेशी शराब विनष्ट करने का आदेश दिया जाता है। अधीक्षक उत्पाद, खगड़िया अपने देख--रेख में निर्धारित प्रक्रियों का पालन करते हुए थाना मोरकाही कांड संख्या--131/2017 के आधार पर जप्त की गई कुल--7.635 लीटर विदेशी शराब को विनष्ट करते हुए ततसंबंधी प्रतिवेदन अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में समर्पित करेंगे। इस आदेश की प्रति पुलिस अधीक्षक, खगड़िया/थानाध्यक्ष, मोरकाही/उत्पाद अधीक्षक, खगड़िया को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ भेजी जाय। लेखापित एवं संशोधित समाहर्त्ता, खगड़िया। समाहर्त्ता, खगड़िया।	

आदेश की क्रम सं0 और तारीख 1.	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर 02.	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख-राहित 3
	डी0 वी0 नं0.......10........./विधि, दिनांक 13/01-2018 प्रतिलिपिः—पुलिस अधीक्षक, खगड़िया/थानाध्यक्ष, मोरकाही/उत्पाद, अधीक्षक, खगड़िया को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित। प्रतिलिपिः—जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी, खगड़िया को सूचनार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि आदेश जिले के बेवसाइट पर अपलोड करने की कृपा की जाय। 13/01/18 प्रभारी पदाधिकारी जिला विधि शाखा खगड़िया। 12/1/18	